

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>२७/६/२३</p>	<p>पञ्चवली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान्, उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवशा बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पञ्चवली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक १-१-७/२३ को पेश हो थ</p>
<p>११/७/२३</p>	<p>पञ्चवली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान्, उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवशा बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पञ्चवली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक २२/८/२३ को पेश हो थ</p>
<p>२२/८/२३</p>	<p>पञ्चवली पेश हुई। वकील वादी ३५१ वकील वादी-द्वारा बहस की गई जाकर वाद पत्र में अंशिक तथ्यों को दोहराया। बहस समाप्त की गई। पञ्चवली वास्ते आदेश दि. १५/९/२३ को पेश हो थ</p>
<p>१४.९.२३</p>	<p>पञ्चवली वास्ते ओरिजिनल पेश हुई। वकील वादी ३५१ वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत ५८-भूमि खासतः २०६ संवत् २०६८ वाके गम करन्धन में भोजा आठ रामनाथ की भूमि पर- भोजा आठ रामनाथ का नाम विलोपित कुवा ५८ वादीगण का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र में पूर्णतः तथ्यों एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान नकल जमाबन्दी खाता सं. नया २१६ व पुराना २०६ का अंशवलोकन करने पर वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष वादीगण को पूर्व में ही प्राप्त हो जाने से वाद में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना औचित्य पूर्ण नहीं होता है। अतः वाद वादी खासतः बिया जाता है। पञ्चवली फैसलें अन्तर्गत नम्बर से कम हो। वाद तामील तामील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो थ</p>